झारखण्ड सरकार

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01 / यो0ब0–22 / 2017–334 दिनांक : 07.03.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची / खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी / गुमला वन प्रमण्डल, गुमला / सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा / लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा / पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़ / गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा / जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा / देवघर वन प्रमण्डल, देवघर / दुमका वन प्रमण्डल, दुमका / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग / बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह / धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद / रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ / जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा / साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण, गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए कुल **रू0 1132.255 लाख (ग्यारह करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–36 / 2017 (खण्ड-II)–46 / स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 27.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0 बजट–36 / 2017 (खण्ड-II)–91 / आ0 व0प0 दिनांक 05.03.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 1132.255 लाख (ग्यारह करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	609.760
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	522.495
कुल :–		**1132.255**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क), (ख) एवं (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क), (ख) एवं (ग)** स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे

दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। गैबियन वनरोपण एक avenue plantation है, जिसमें 6–7 फीट के करंज, छतवन, महोगनी एवं Semrua के evergreen प्रजाति के पौधे ही लगाये जायेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–22/2017–334** दिनांक– **07.03.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/ दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ हजारीबाग/ बोकारो/ गिरिडीह/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–22 / 2017–334** दिनांक– **07.03.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / खूँटी / गुमला / सिमडेगा / लातेहार / गढ़वा / पाकुड़ / गोड्डा / जामताड़ा / देवघर / दुमका / हजारीबाग / बोकारो / गिरिडीह / धनबाद / रामगढ़ / जमशेदपुर / चाईबासा / साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 229.90 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	रैखिक वृक्षारोपण (कि0मी0)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			463774.97	**543342.22**	**1007117.19**
i	ii	iii	vi	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	5	23.189	27.167	50.356
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	5	23.189	27.167	50.356
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	5	23.189	27.167	50.356
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	5	23.189	27.167	50.356
5	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	5	23.189	27.167	50.356
6	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	5	23.189	27.167	50.356
7	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	5	23.189	27.167	50.356
8	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	5	23.189	27.167	50.356
9	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	5	23.189	27.167	50.356
10	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	3	13.913	16.300	30.213
11	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	5	23.189	27.167	50.356
12	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	5	23.189	27.167	50.356
13	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	5	23.189	27.167	50.356
14	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	2	9.275	10.867	20.142
15	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	10.69	49.577	58.083	107.660
16	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	3	13.913	16.300	30.213
17	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	12	55.652	65.201	120.853
योग :–		**90.69**	**420.598**	**492.755**	**913.353**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 229.9 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			49543.45	**5949.60**	**55493.05**
i	ii	iii	vi	v	vi
1	सा0वा0 प्रमण्डल, दुमका	305.00	151.108	18.146	169.254
2	सा0वा0 प्रमण्डल, चाईबासा	60.00	29.726	3.570	33.296
योग :–		**365**	**180.834**	**21.716**	**202.550**

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
(मजदूरी दर : रू0 229.90 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			475.89	**458.40**	**934.29**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	1750	8.328	8.022	16.350
योग :–		**1750**	**8.328**	**8.022**	**16.350**
सकल योग :–			**609.760**	**522.495**	**1132.255**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (क)

कंटीले तार घेरान के साथ (Multi Row with barbed wire fencing) नदी तट पर वृक्षारोपण की प्रति कि0मी0 अनुसूचित कार्य दर

स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी–3मी0 / 2मी0; पौधे से पौधे की दूरी–3मी0 / 2मी0; प्रति कि0 मी0 पौधों की संख्या–6000 पौधे

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90						
1	झाड़ी सफाई		3.00	689.70	0.00	689.70	
2	घेरान कार्य						
क	RCC पीलर 700 सं0 रु0 823 रु0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7'x4"x4" का निर्माण एवं 1'x1'x2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	नदी तट के एक तरफ के लिए प्रति कि0मी0	1002.00	230359.80	345660.00	576019.80	
ख	कंटीला तार 4point 2ply 12wg 15cm apart 3.75 मे0 टन, 64.32 रु0 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से 1.875		0.00	0.00	120600.00	120600.00	
ग	कंटीला तार को खीचने, सीधा करने, स्टपल इत्यादि लगाने का कार्य सहित (SOR 2015-5.10.39, 7.36 रु0 प्रति वर्ग मीटर दर 187.48 प्रति मानव दिवस कुल 2460 वर्ग मी0)		49.51	11382.35	0.00	11382.35	
घ	RCC पीलर एवं कंटीले तार की कार्य स्थल तक ढुलाइ, (क+ख+ग का 15%)		184.78	42480.92	63719.42	106200.34	
3	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 45cm x 45cm x 45cm आकार का गड्ढा बनाना @ 0.10 मानक दिवस प्रति गड्ढा	5000 गड्ढा	500.00	114950.00	0.00	114950.00	
4	माउन्ड निर्माण@ 0.25 प्रति मानव दिवस आधारित व्यास 1.2 मी0, शीर्ष व्यास 0.6मी0 ऊँचाई 0.60 मी0	1000 अदत प्रति कि0मी0 अधिकतम	250.00	57475.00	0.00	57475.00	वन संरक्षक के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार।
5	30% पौधों के लिए Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधशाला का अंश कार्य	6600 पौधा	28.00	6437.20	13362.80	19800.00	
	योग :–		**2017.29**	**463774.97**	**543342.22**	**1007117.19**	
(B)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 264.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य एवं 70% ट्यूब वाले पौधों का क्रय, परिवहन इत्यादि।	6600 पौधा	45.00	11880.00	35854.50	47734.50	
2	पौधा रोपण	प्रति कि0मी0	135.00	35640.00	0.00	35640.00	
3	दो कोड़नी निकौनी	प्रति कि0मी0	150.00	39600.00	0.00	39600.00	
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0मी0	180.00	47520.00	0.00	47520.00	
5	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	9450.00	9450.00	
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	1500.00	1500.00	
7	पटवन, आवश्यकतानुसार	प्रति कि0मी0	180.00	47520.00	0.00	47520.00	
8	घेरान मरम्मति	प्रति कि0मी0	10.00	2640.00	1000.00	3640.00	
	योग :–		**700.00**	**184800.00**	**47804.50**	**232604.50**	

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(C)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 304.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी निकौनी	प्रति कि0मी0	84.00	25536.00	0.00	25536.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	4104.00	4104.00	
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0मी0	240.00	72960.00	0.00	72960.00	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	600 पौधा	12.00	3648.00	12000.00	15648.00	
5	पटवन, आवश्यकतानुसार	प्रति कि0मी0	270.00	82080.00	0.00	82080.00	
	योग :–		**606.00**	**184224.00**	**16104.00**	**200328.00**	
(D)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 350.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी निकौनी	प्रति कि0मी0	84.00	29400.00	0.00	29400.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	4104.00	4104.00	
3	घेरान मरम्मति	प्रति कि0मी0	5.00	1750.00	1000.00	2750.00	
4	सुरक्षा पर व्यय	प्रति कि0मी0	120.00	42000.00	0.00	42000.00	
	योग :–		**209.00**	**73150.00**	**5104.00**	**78254.00**	
(E)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 402.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी निकौनी	प्रति कि0मी0	84.00	33768.00	0.00	33768.00	
2	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	4104.00	4104.00	
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0मी0	120.00	48240.00	0.00	48240.00	
4	घेरान को हटाना, सुरक्षित स्थान पर परिवहन एवं भेजना (वित्तीय वर्ष के अन्त में)	प्रति कि0मी0	82.50	33165.00	2500.00	35665.00	
	योग :–		**286.50**	**115173.00**	**6604.00**	**121777.00**	
	सकल योग :–		**3818.79**	**1021121.97**	**618958.72**	**1640080.69**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर–वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90**						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3.00	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हे0	7.00	1609.30	0.00	1609.30	
3	**ट्रेंच घेरान** – ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	4 चेन प्रति हे0	100	22990.00	0.00	22990.00	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	33.00	7586.70	0.00	7586.70	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे0	16.50	3793.35	0.00	3793.35	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे0	40	9196.00	0.00	9196.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे0	16.00	3678.40	3559.60	7238.00	
	योग :–		**215.50**	**49543.45**	**5949.60**	**55493.05**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 264.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016–17 को आधार मानते हुए**						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	5676.00	0.00	5676.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	9636.00	0.00	9636.00	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	10956.00	0.00	10956.00	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	528.00	0.00	528.00	
5	पौधों की सुरक्षा	हे0	9.16	2418.24	0.00	2418.24	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**110.66**	**29214.24**	**2515.00**	**31729.24**	
(C)	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 304.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए**						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	6992.00	0.00	6992.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.16	3696.64	0.00	3696.64	
4	गड्ढा घेरान की मरम्मत	हे0	4.00	1216.00	0.00	1216.00	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	912.00	290.00	1202.00	
	योग :–		**42.16**	**12816.64**	**2182.40**	**14999.04**	

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(D)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 350.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए**						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	8050.00	0.00	8050.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.16	4256.00	0.00	4256.00	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	1050.00	290.00	1340.00	
	योग :–		**38.16**	**13356.00**	**1590.00**	**14946.00**	
(E)	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 402.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	23.00	9246.00	0.00	9246.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	हे0	12.16	4888.32	0.00	4888.32	
4	घेरान की मरम्मत	हे0	4.00	1608.00	0.00	1608.00	
	योग :–		**39.16**	**15742.32**	**500.00**	**16242.32**	
(F)	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 462.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	हे0	12.16	5617.92	0.00	5617.92	
	योग :–		**12.16**	**5617.92**	**0.00**	**5617.92**	
(G)	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 532.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	हे0	12.16	6469.12	0.00	6469.12	
	योग :–		**12.16**	**6469.12**	**0.00**	**6469.12**	
	सकल योग :–		**469.96**	**132759.69**	**12737.00**	**145496.69**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ग)

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बॉस–गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"
2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0, पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0
3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवसः 229.90 रूपये

कम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90**						
1	**घेरान कार्य**						
क	बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'–6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस @ 80.00 रू. ; प्रति ग्रामीण बाँस) ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	320.00	**320.00**	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	229.90	0.00	**229.90**	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	45.98	6.00	**51.98**	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	68.97	90.00	**158.97**	गर्म पेंट में डूबोकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा–एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
ड.	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढ़ो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.20	45.98	0.00	**45.98**	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)	प्रति गैबियन	0.20	45.98	15.00	**60.98**	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		**0.00**	
	(1) तार 100 ग्राम (67/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	**6.70**	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	**20.70**	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	39.08	0.00	**39.08**	
	योग		**2.07**	**475.89**	**458.40**	**934.29**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 264.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	**25.00**	छः फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाऐंगे
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	39.60	20.00	**59.60**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	26.40	2.00	**28.40**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	39.60	4.50	**44.10**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	132.00	25.00	**157.00**	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	132.00	0.00	**132.00**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**369.60**	**96.50**	**466.10**	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 304.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	45.60	4.50	**50.10**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	152.00	5.00	**157.00**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	152.00	60.00	**212.00**	
	योग		**1.15**	**349.60**	**69.50**	**419.10**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 350.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	52.50	4.50	**57.00**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	175.00	5.00	**180.00**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	175.00	60.00	**235.00**	
	योग		**1.15**	**402.50**	**69.50**	**472.00**	
	कुल योग		**5.77**	**1597.59**	**693.90**	**2291.49**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

I

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334 दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102393	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
2	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102394	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
3	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102395	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ

योग: 6,956,700.00

क्रमिक योग: रुपये उनहत्तर लाख छप्पन हजार सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST(FC)

164.100.150.21 RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334 दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102396	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102397	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102398	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ

योग: 6,956,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड उनचालीस लाख तेरह हजार चार सौ 13,913,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)
ADDI.PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS
ADDI.PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS
RANCHI

164.100.150.21
Run Date: 7/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334

दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102399	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
8	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102400	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
9	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102401	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ

6,956,700.00

योग:

20,870,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड आठ लाख सत्तर हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL. PCCF (DEVELOPMENT) JHARKHAND

164.100.150.21

RANCHI

Run Date: 7/3/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102402	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,391,300.00 रुपये तेरह लाख इनकानवे हजार तीन सौ
11	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102403	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
12	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102404	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICEI EAST	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ

योग: 6,029,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अडसठ लाख निन्नानवे हजार दो सौ 26,899,200.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS(WILDLIFE)
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102405	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
14	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102406	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	927,500.00 रुपये नौ लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ
15	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102407	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	4,957,700.00 रुपये उनचास लाख सत्तावन हजार सात सौ

योग: 8,204,100.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड इकावन लाख तीन हजार तीन सौ 35,103,300.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVELOPMENT)
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102410	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,391,300.00 रुपये तेरह लाख इनकानवे हजार तीन सौ
17	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102412	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	5,565,200.00 रुपये पचपन लाख पैसठ हजार दो सौ
18	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102414	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	15,110,800.00 रुपये एक करोड इकावन लाख दस हजार आठ सौ

योग: 22,067,300.00

क्रमिक योग: रुपये पॉच करोड इकहत्तर लाख सत्तर हजार छः सौ 57,170,600.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVELOPMENT)JHARKHAND

164.100.150.21
RANCHI
Run Date: 7/3/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102416	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	2,972,600.00 रुपये उन्तीस लाख बहत्तर हजार छः सौ
20	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102418	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGANJ	832,800.00 रुपये आठ लाख बत्तीस हजार आठ सौ
21	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102421	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES' DIVISION RA	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ

योग: 6,522,100.00

क्रमिक योग: 63,692,700.00

रुपये छः करोड छत्तीस लाख बयानवे हजार सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVELOPMENT)

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334

दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102422	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	2,716,900.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार नौ सौ
23	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102423	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
24	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102425	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ

योग: 8,150,300.00

क्रमिक योग: 71,843,000.00

रुपये सात करोड अठारह लाख तैंतालीस हजार

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVANARDHAND

164.100.150.21

RANCHI

Run Date: 7/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334

दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102427	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
26	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102428	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
27	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102429	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ

योग: 8,150,100.00

क्रमिक योग: 79,993,100.00

रुपये सात करोड निन्नानवे लाख तिरनावे हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVELOPMENT)JHARKHAND

164.100.150.21

RANCHI

Run Date: 7/3/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102431	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
29	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102432	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
30	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102433	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,630,000.00 रुपये सोलह लाख तीस हजार

योग: 7,063,400.00

क्रमिक योग: रुपये आठ करोड सत्तर लाख छप्पन हजार पाँच सौ 87,056,500.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVSANSTH)HAND

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334 दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102434	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
32	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102436	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICEI EAST	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
33	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102437	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ

योग: 8,150,100.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड बावन लाख छः हजार छः सौ 95,206,600.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVELOPMENT)&HEAD

164.100.150.21
RANCHI
Run Date: 7/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334

दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102439	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,086,700.00 रुपये दस लाख छियासी हजार सात सौ
35	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102442	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	5,808,300.00 रुपये अठावन लाख आठ हजार तीन सौ
36	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102444	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,630,000.00 रुपये सोलह लाख तीस हजार

योग: 8,525,000.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड सैतीस लाख इकतीस हजार छः सौ 103,731,600.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL. PCCF(DEV.) JHARKHAND

164.100.150.21 RANCHI
Run Date: 7/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/334

दिनांक - 07-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102446	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	6,520,100.00 रुपये पैसठ लाख बीस हजार एक सौ
38	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102447	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	1,814,600.00 रुपये अठारह लाख चौदह हजार छः सौ
39	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	102448	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	357,000.00 रुपये तीन लाख सत्तावन हजार

योग: 8,691,700.00

क्रमिक योग: रुपये ग्यारह करोड चौइस लाख तेइस हजार तीन सौ 112,423,300.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEV.)JHARKHAND

164.100.150.21

RANCHI

Run Date: 7/3/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	102449	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGANJ	802,200.00 रुपये आठ लाख दो हजार दो सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)

Centeral Scheme : NA

योग: 802,200.00

क्रमिक योग: रुपये ग्यारह करोड बत्तीस लाख पच्चीस हजार पॉच सौ 113,225,500.00

(SHRI SATNAM SINGH
ADDL.PCCF(DEVANARI)HAND

अनुलग्नक–3 (क)

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल विवरणी

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	नदी का नाम	नदी की लम्बाई (कि0मी0)
i	ii	iii	iv	v
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	राँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलौंग	स्वर्णरेखा नदी	3
		राँची वनरोपण प्रक्षेत्र, बेड़ो	स्वर्णरेखा नदी	2
योग :–				**5**
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	बुण्डू	करम्बू–कांची	2
		जरिया	सिमशिला–जबड़ा	3
योग :–				**5**
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	गुमला वनरोपण प्रक्षेत्र	कंस नदी	3
		गुमला वन प्रक्षेत्र	कोयल नदी	2
योग :–				**5**
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	सिमडेगा प्रक्षेत्र	शंख नदी	2
			पालामाड़ा नदी	3
योग :–				**5**
5	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	लातेहार प्रक्षेत्र	औरंगा नदी (लातेहार से कोमो)	5
योग :–				**5**
6	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	रंका पूर्वी	कनहर (गोदरमाना से भौंरी)	5
योग :–				**5**
7	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	आमड़ापाड़ा वन प्रक्षेत्र	बाँसलोई नदी	5
योग :–				**5**
8	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	बोआरीजोर	गैरूआ नदी	5
योग :–				**5**
9	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	नारायणपुर वन प्रक्षेत्र	बराकर नदी	5
योग :–				**5**
10	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	भू–संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर	पतरो नदी (बुढ़ई पुल से दरंगा की ओर)	3
योग :–				**3**
11	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका	मयुरक्षी नदी (बन्दरकोन्दा कोलोनी से आमजोड़ा तक	5
योग :–				**5**
12	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	बगोदर प्रादेशिक प्रक्षेत्र	कोनार नदी	5
योग :–				**5**
13	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	चास प्रक्षेत्र	गरगा नदी	5
योग :–				**5**
14	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	गिरिडीह वन प्रक्षेत्र	उसरी नदी	1
		खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र	उसरी नदी	1
योग :–				**2**

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	नदी का नाम	नदी की लम्बाई (कि0मी0)
i	ii	iii	iv	v
15	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	शहरी वानिकी प्रक्षेत्र, धनबाद	दामोदर नदी	5
			बराकर नदी	5.69
योग :–				**10.69**
16	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	गोला प्रक्षेत्र	स्वर्णरेखा नदी	3
योग :–				**3**
17	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	चाकुलिया प्रादेशिक	नलधुआ चन्दनपुर से श्यामसुन्दरपुर स्वर्णरेखा नदी तट किनारे	7
		मानगो वनरोपण	बड़ाबाँकी, हुरलुंग, नूतनडीह से मानपीटा स्वर्णरेखा नदी तट किनारे	5
योग :–				**12**
सकल योग :–				**90.69**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3 (क)

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल विवरणी

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं0	स्थल का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	सा0वा0 प्रक्षेत्र, जामताड़ा	जामताड़ा	चेंगाइडीह–20	धोबना	1777, 2998, 3647	18
			नारायणपुर	दक्षिणबहाल–41	नूतनडीह	2	43
				दक्षिणबहाल–47	पेटारी	80, 546, 124, 264	37
				दक्षिणबहाल–38	घटियारी	1102, 391, 102, 1087	25
				दक्षिणबहाल–15	कुमरगेरिया	229	18
			कुण्डहीत	कुण्डहित–31	धोबना	314, 2156, 1044	32
				कुण्डहित–01	बरमसिया	2	
				कुण्डहित–20	रणचापड़	1, 2757, 2519	30
				कुण्डहित–27	दुर्गापुर	888	
			जामताड़ा	चालना–17	चालना	766, 1042, 970, 1447, 4100	52
				फुलजोरी–16	फुलजोरी	63	
				दुलाडीह–09	दुलाडीह	61, 75, 502.00	50
योग :–							**305**
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	झींकपानी	टोन्टो	कोल्हान–617	डाउडंगुवा	1276, 1444, 1491, 1229, 896, 936, 1272, 1273, 1274, 922, 933, 1124, 1134, 449, 1450, 1493, 1268, 1135, 981, 1123	60
योग :–							**60**
सकल योग :–							**365**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची